न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 12 सन 2019

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र रूपराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रातूसर तहसील नोहर।

बनाम

1. चेतराम पुत्र रूपराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रातूसर तहसील नोहर।
2. छगनलाल पुत्र रूपराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रातूसर तहसील नोहर।
3. श्वमला 4 सन्तोष 5 सुनिल पुत्रीयान रूपराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रातूसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 19.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा रातूसर के खाता संख्या 109/112 के खसरा न0 18 की 0.3790हैक खसरा न0 71 की 4.7820हैक कुल 5.1610हैक भूमि पूर्व में वादी की नानी लिछमा के नाम से दर्ज थी वादी की नानी बेवा भानीराम जाति ब्रहाम्ण फोत हो चुके एवं लिछमा देवी की एक मात्र पुत्री पाना हुई तथ पान पुत्री लिछमा का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान देवीलाल चेतराम छगनलाल सन्तोष विमला सुनिता विधिक उतराधिकारी है वादी एवं प्रतिवादी सांख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के नानी के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी की माता के नाम से दर्ज हुई जिसका भी देहान्त हो चुका है जिसके विधिक उतराधिकारी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के नानी के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी की माता के नाम से दर्ज हुई है वादी की माता का भी देहान्त हो चुका है जिसके विधिक उतराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 109/112 की कुल 5.1610हैक भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एव मृतक लिछमा पत्नि भानीराम का नाम कलमजन किया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official